FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत —उपखण्ड अधिकरी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नावां जिला डीडवाना—कुचामन राजस्थान

जवानसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत बनाम भगवानसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत वगै.
सा. लोरा का बास तह. कुचामन सा. लोरा का बास तह. कुचामन

किस्म मुकदमां : 212 आरटीए मुकदमा नम्बर 130/2023 (130/2023)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
03.10.2023	प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमावत ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी दयालसिंह पुत्र केसरसिंह जाति राजपूत निवासी लोरा का बास तहसील कुचामन ने केवियट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 (ए) सी.पी.सी. पेश किया। अधिवक्ता प्रार्थी एवं अधिवक्ता केवियटकर्ता की बहस अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा सुनी गई। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाता है। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित राजस्व ग्राम लोरा का बास के खसरा नम्बर 9 व खसरा नम्बर 26 के मध्य खसरा नम्बर 23 रकबा 0.75 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता स्थित है जो कि राजकीय गै.मु. कटाणी रास्ता है। अधिवक्ता केवियटकर्ता द्वारा प्रस्तुत बहस व दस्तावेजात के अवलोकन से उक्त खसरा नम्बर 23 गै.मु. रास्ता को रास्ता खोलो अभियान 2020 के तहत खुलवाया गया तथा तत्पश्चात वादी ने पुनः रास्ते का बंद कर दिया। दिनांक 22.09.2023 को उक्त रास्ते को पुनः खुलवाया गया तथा वादी उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर उक्त रास्ते को पुनः बंद करना चाहता है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के हक में प्रतीत नहीं होता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 06.11.2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी, नावां	
6/11/23	पत्रावली पेश हुई । वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बाहर बधारें है पत्रावली दिनांक 24/1/24 को पेश हो । (हस्ताक्षर)	
२४/१/२४	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं को बार-बार आवाज दिलाई गई जिसके बावजूद भी अनुपस्थित रहे हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना [illegible] अदम हाजरी व अदम पैरवी [illegible] किया जाता है। पत्रावली फैसल [illegible] कम हो व दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:57:40 IST
Reason: SelfAttested